जिला सोलन खेलकूद, शिक्षा संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के अवधि 4/2008 से 3/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की स्थिति के अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप अनिर्णीत पैरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः अनिर्णीत पैरों पर अपेक्षित कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट"क"** में दर्शाई गई है।

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

अवधि 4/2008 से 3/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी व श्री राकेश कुमार चौहान, लेखा परीक्षक द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 3/2009, 12/2009, 1/2011, 12/2011 और 10/2012 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 11/2008, 3/2010, 11/2010, 7/2011 और 10/2012 का चयन किया गया।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला सोलन खेलकूद, शिक्षा, संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि, जिला सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना के उपलब्ध न करने के कारण पाई गई त्रुटि हेतु उत्तरदायी नहीं है।

अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2008 से 3/2013 के दौरान उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत्त रहे पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्री अमन दीप गर्ग	उपायुक्त	1.4.2008 से 8.12.2009
2	श्री अमर सिंह राठौर	उपायुक्त	8.12.2009 से 29.1.2011
3	श्री सी0 पालरसु	उपायुक्त	29.1.2011 से 30.4.2012
4	श्रीमती मीरा मोहन्ती	उपायुक्त	30.4.2012 से 31.3.2013
5	श्री चमन दिल्टा	सहायक आयुक्त	1.4.2008 से 4.10.2008
6	श्री अविनाश	सहायक आयुक्त	4.10.2008 से 31.3.2009
7	श्री सन्त राम शर्मा	सहायक आयुक्त	1.4.2009 से 30.6.2009
8	श्री एस0पी0 शर्मा	सहायक आयुक्त	1.7.2009 से 9.6.2011

9	श्री राजेश कुमार	सहायक आयुक्त	9.6.2011 से 16.5.2012
10	के0 आर0के0 शर्मा	सहायक आयुक्त	16.5.2012 से 5.7.2012
11	श्रीमती ज्योति राणा	सहायक आयुक्त	5.7.2012 से 29.1.2013
12	श्री सुभाष सकलानी	सहायक आयुक्त	4.2.2013 से 31.3.2013

3 अंकेक्षण शुल्कः–

जिला सोलन खेलकूद, शिक्षा संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि, जिला सोलन, के अवधि 4/2008 से 3/2013 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8800/– आंका गया जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 के नाम भेजने हेतु जिलाधीश, सोलन जिला सोलन से अधियाचना संख्या 330 दिनांक 24.2.14 द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त संस्था द्वारा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सोलन के बैंक ड्राफ्ट संख्या 944800 दिनांक 11.3.14 के माध्यम से अंकेक्षण शुल्क की ₹8800/– निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित कर दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

जिला सोलन खेलकूद, शिक्षा संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि, जिला सोलन द्वारा प्रस्तुत संस्था की अवधि 4/2008 से 3/2013 की वित्तीय स्थिति **परिशिष्ट "ख"** पर संलग्न है।

5 निवेशः–

जिला पुरस्कार निधि से दिनांक 31.3.2013 को ₹2065490 सावधिक जमा योजना में निवेशित की गई है जिसका विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न है।

6 अनुदानः–

जिला सोलन खेलकूद, शिक्षा, संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि, जिला सोलन को अवधि 4/2008 से 3/2009 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार से ₹41297/– अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है जिसका विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "घ"** में दिया गया है।

7 किराए की बकाया ₹539600/– का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

संस्था द्वारा प्रस्तुत विवरणी **परिशिष्ट "ङ"** के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को किराए की बकाया ₹539600/– वसूली हेतु शेष थी जिसकी वसूली हेतु अतिशीध्र आवश्यक पग उठाए जाएं।

8 अस्थाई अग्रिम की ₹620881/– का वसूली/समायोजन हेतु शेष पाया जानाः–

संस्था द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को ₹470030/– बतौर अस्थाई अग्रिम वसूली हेतु शेष दर्शाई गई थी तथा ई–गर्वनैन्स, सोलन, परवाणु और कण्डाघाट से वसूली योग्य राशि "शून्य" दर्शाई गई थी। इस सन्दर्भ में अस्थाई अग्रिम राशि की लेखा परीक्षा करने पर पाया गया कि ई–गर्वनैंस, सोलन, परवाणू और कण्डाघाट को जारी की गई अग्रिम राशि की ब्याज की गणना गलत करने के कारण उक्त कार्यालयों से ₹150851/– वसूली हेतु शेष है। इस प्रकार दिनांक 31.3.2013 को वस्तुतः ₹470030+₹150851=₹620881 बतौर अस्थाई अग्रिम वसूली हेतु शेष है जिसका विवरण **परिशिष्ट "च"** पर संलग्न है। अतः उक्त राशि की संस्था स्तर पर अपेक्षित जाँच करके इसकी वसूली अतिशीध्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

9 डिपोजिट वर्कस से सम्बन्धित ₹476285/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करनाः–

संस्था द्वारा प्रस्तुत विवरणी **परिशिष्ट "छ"** के अनुसार दिनांक 31.3.2013 को (Deposit Works) से सम्बन्धित ₹476285/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने शेष है जिन्हें अतिशीध्र प्राप्त करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

10 बचत खातों में आवश्यकता से अधिक राशि जमा रखने से ब्याज के रूप में निरन्तर हानि होने के बारे मेंः–

संस्था के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सोलन के बचत खाता संख्या 55080128621 में अवधि 9/2009 से 3/2013 के दौरान आवश्यकता से अधिक राशि रखी गई है। इस सन्दर्भ में वर्णित किया जाता है कि बचत खातों पर ब्याज की दर सावधिक जमा योजना की तुलना में बहुत ही कम होती है। अतः परामर्श दिया जाता है कि संस्था स्तर पर आवश्यक जाँच करके तथा नियमित दैनिक खर्चों का आंकलन करने के उपरान्त जिला पुरस्कार राशि के बचत खातों में जहां भी आवश्यकता से अधिक राशि शेष है, उनको समय–समय पर सावधि जमा में निवेश करके ब्याज के रूप में अधिक से अधिक आय अर्जित करने का प्रयास किए जाएं ताकि ब्याज के रूप में हो रही वित्तीय हानि को रोका जा सकें।

11 जिला स्तरीय गणतन्त्र दिवसों और जिला स्तरीय स्तन्त्रता दिवस के आयोजन हेतु ₹213686/– का अनियमित भुगतान करनाः–

चयनित माह 3/2010, 11/2010 और 7/2011 के वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया जिला नाजर जिला मुख्यालय, सोलन द्वारा दिनांक 26.1.2010, 15.8.2010 और 26.1.2011 को जिला स्तरीय गणतन्त्र दिवस और जिला स्तरीय स्तन्त्रता दिवस के आयोजन के दौरान सांस्कृतिक

गतिविधियों, दोपहर के भोजन और अन्य विभिन्न मदो पर ₹213686/– का अनियमित व्यय किया गया। यह व्यय जिला पुरस्कार निधि पर उचित प्रभार नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त व्यय करने से पूर्व कोई भी औपचारिकताऐं पूरी नहीं की गई और न ही निविदाएं इत्यादि आमन्त्रित की गई। अतः उक्त अनियमितता को नियमित करवाने के अतिरिक्त व्यय की गई ₹213686/– को सम्बन्धित निधि से आहरित करके जिला पुरस्कार निधि में जमा करवाई जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

12 फर्नीचर के क्रय पर ₹181134 का अनियमित व्यय करनाः–

चयनित माह 11/2008 और 3/2010 के वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया संस्था द्वारा कॉन्फ्रेस हॉल और अतिथि गृह (बचत भवन) सोलन के लिए फर्नीचर और अन्य वस्तुऐं क्रय करने हेतु निम्नलिखित फर्मों को ₹181134/– का भुगतान किया गया हैः–

क्र0 सं0	फर्म का नाम	वस्तु का नाम		बिल सं0 व दिनांक	राशि
1	मै0 पारस इन्डस्ट्रीज,	18 सोफासैट सिंगल सीट	34200	755	63648
	लूनापानी जिला मण्डी	12 रिवोलविंग चेयर	24000	6.10.2008	
		1 रिवोलविंग चेयर फुलबैक	3000		
		टैक्स	2448		
2	मै0 विश्वकर्मा फर्नीचर	2 बैड	5000	11252	11523
	इन्डस्ट्रीज आनन्द	2 मैट्रस	5600	20.10.08	
	कम्पलैक्स राजगढ़ रोड	4 पिलो	480		
	सोलन	टैक्स	443		
3	मै0 विश्वकर्मा फर्नीचर	4 डबल बैड बॉक्स		14415	37690
	इण्डस्ट्रीज, सोलन			31.12.09	
4	–यथोपरि–	2 मैट्रस		14416	9572
		2 मैट्रस		31.12.09	9968
		4 बैडशीट पिलो कवर सहित			6000
		2 बैड कवर			1100
5	–यथोपरि–	Non woven carpeting		14385	16440
		Foot Mattress		11.1.10	1980
		Tax			737
6	–यथोपरि–	2 Pillow Lutex Plus (Sleep Well)		14386	2888
				11.1.10	

7	मै0 उम्मेद हैण्डी क्राफ्ट एवं फर्नीचर अप्पर बाजार, सोलन	विविध वस्तुऐं	15978 7.1.10	2685
8	–यथोपरि–	विविध वस्तुऐं	15975 13.1.10	242
9	–यथोपरि–	विविध वस्तुऐं	15979 15.1.10	66
10	मै0 गणपति डिपार्टमैन्टल स्ओर, सूरी चैम्बर, सर्कुलर रोड सोलन	विविध वस्तुऐं	3773 11/10	1717
11	–यथोपरि–	विविध वस्तुऐं	3772 11/10	3196
12	–यथोपरि–	विविध वस्तुऐं	3774 11/10	1302
13	मै0 लाईफ स्टाईल कपूर बिल्डिंग चौक बाजार, सोलन	2 कम्बल	43774 7.1.10	2880
14	मै0 नीलमा फर्नीचर एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लि0 सोलन	एक वाशिंग मशीन	15518 2.1.10	7500
			योग	**₹181134**

उक्त वस्तुऐं रेट कॉन्ट्रेक्ट और निविदाएं के आधार पर (क्रम संख्या 1 को छोड़ कर) क्रय नहीं की गई है तथा इस प्रकार बाजारी प्रतिस्पर्धा का कोई भी लाभ नहीं उठाया गया। इसके अतिरिक्त जिला पुरस्कार निधि से कॉन्फ्रेन्स हॉल हेतु क्रय किए गए सामान पर किया गया व्यय जिला पुरस्कार निधि पर उचित प्रभार नहीं है। इस सन्दर्भ में यह भी वर्णित किया जाता है कि वित्तीय विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन–1–सी (14) 1/83, दिनांक 6.9.1995 द्वारा फर्नीचर क्रय करने से पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। अतः सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाने के बावजूद भी फर्नीचर क्रय करने तथा निविदाएं इत्यादि आमन्त्रित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस अनियमित व्यय को नियमित करने के लिए समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करवाने के अतिरिक्त व्यय की गई राशि को सम्बन्धित निधि से निकाल कर उसे जिला पुरस्कार राशि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

13 विज्ञापनों पर ₹109000/— का अनियमित भुगतान करनाः—

अंकेक्षण के दौरान माह 11/2008, 3/2010, 8/2010 और 11/2010 के वाऊचरों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित फर्मों को विभिन्न पत्रिकाओं/समाचार पत्रों में लघु बचत सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु ₹109000 का अनियमित व्यय किया गया हैः—

क्र0सं0	फर्म का नाम	बिल सं0	दिनाँक	राशि
1	अध्यक्ष, सामाजिक दलित पीड़ित संस्थान, सोलन	529	24.9.2008	5000
2	उपायुक्त एवं अध्यक्ष कांगड़ा घाटी ग्रीष्मोत्सव समिति कांगड़ा स्थित धर्मशाला	——	———	5000
3	सम्पादक, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी बिल्डिंग, सिविल लाईन, जालन्धर	10000029765	27.10.2008	5000
4	प्रबन्धक सम्पादक, पर्वत राम, एम0आई0जी0—41 रक्कड़ कलौनी ऊना	013	23.10.2008	5000
5	सम्पादक, "ग्राम परिवेश" 114 पी0सी0 चैम्बरज, शिमला—171001	514	11.2.2010	10000
6	विज्ञापन प्रबन्धक, पंजाब केयरी चौपड़ा पब्लिशिंग हाउस, जालन्धर	1000690398	26.1.2010	10000
7	सम्पादक, हिमभाषा ढली शिमला	353	15.1.2010	12000
8	प्रधान, हि0प्र0 जिलाधीश कार्यालय, कर्मचारी महासंघ, हमीरपुर	27	10.3.10	5000
9	जिलाधीश, मण्डी	1220	22.7.2010	7500
10	उपमण्डलाधिकारी एवं अध्यक्ष, ग्रीष्मोत्सव मेला समिति, घुमारवीं जिला बिलासपुर	4951	24.7.2010	15000
11	विज्ञापन प्रबन्धक, "हिमालय डान" 3—एम0सी0 कम्लैक्स, सोलन	256	——	7500
12	विज्ञापन प्रबन्धक "शूलिनी समाचार हिन्दी साप्ताहिक" चौक बाजार शिल्ली रोड सोलन।	2503	8.10.11	12000
13	सम्पादक ग्राम परिवेश" 114 पी0सी0 चैम्बर शिमला—1	550	14.6.2010	10000
			योग	**₹109000**

संस्था द्वारा उक्त विज्ञापनों को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से विज्ञापित नहीं करवाया गया है और न ही विज्ञापन पर व्यय की गई राशि का 15 प्रतिशत भाग सरकारी कोष में कमीशन के रूप में जमा किया गया है। इसके अतिरिक्त भुगतान से सम्बन्धित रसीदें भी उक्त फर्मों से प्राप्त नहीं की गई है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 15–1/2006–पी0यू0बी0–14263–92 दिनाक 30.8.2006 और पत्र संख्या 15–11/2008–पी0यू0बी0–22529 दिनांक 7.2.2008 द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा–निर्देश जारी किए गए है कि विज्ञापनों को उक्त विभाग के माध्यम से ही प्रकाशित किया जाए तथा यदि कोई विज्ञापन अपने स्तर पर विज्ञापित किए गए हों तो 15 प्रतिशत कमीशन काटकर उसे सरकारी कोष में जमा किया जाए। अतः उक्त विज्ञापनों को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से विज्ञापित न करने को औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भुगतान की गई राशि से 15 प्रतिशत कमीशन की वसूली न करने तथा उसे सरकारी कोष में जमा करवाने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त भुगतान की रसीदें सम्बन्धित फर्म से प्राप्त करके उसे आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

14 मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग के स्थान पर बाहर से फार्म नं0 ASLAAS-6 की छपवाई हेतु ₹105000/– का अनियमित भुगतान करना:–

चयनित माह 11/2010 में बिल संख्या 316 दिनांक 12.11.2010 के अन्तर्गत मै0 भगवती प्रिटर्ज, भगवती निवास, जौणाजी रोड सोलन को फार्म नं0 ASLAAS-6 की 150000 प्रतियाँ छपवाने हेतु ₹105000 का भुगतान किया गया। संस्था द्वारा उक्त फार्मों का मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग से नहीं छपवाया गया और न ही बाहर से फार्म छपवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। अतः मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग से फार्म न छपवाने का औचित्य स्पष्ट किया जए और भविष्य में फार्म इत्यादि छपवाने का कार्य मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 बिजली के बिल की अदायगी हेतु ₹167742/– का अनियमित भुगतान करना:–

संस्था द्वारा माह 7/2009 में उपायुक्त कार्यालय, सोलन के बिजली के बिल का देय तिथि के उपरान्त दण्ड राशि सहित ₹167742 का भुगतान जिला पुरस्कार राशि से किया गया है जोकि उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः व्यय की गई ₹167742/– सम्बन्धित निधि से आहरित करके इसे तुरन्त जिला पुरस्कार राशि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण मे दिखाई जाए।

16 एअर कंडीशनर क्रय करने हेतु ₹26500/– का अनियमित भुगतान करनाः–

माह 8/2009 में बिल संख्या 13916 दिनांक 30.6.2008 के अन्तर्गत मै0 नीलम फर्नीचर एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स, सोलन से कमेटी रूम के लिए एअर कंडीशनर को क्रय करने हेतु ₹26500/– का अनियमित भुगतान किया गया जोकि जिला पुरस्कार राशि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः व्यय की गई ₹26500/– सम्बन्धित निधि से आहरित करके इसे जिला पुरस्कार राशि में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

17 निविदाएं आमन्त्रित किए बिना 21" इंच रंगीन टी0वी0 का क्रय करने हेतु ₹10990 का भुगतान करने बारेः–

माह 3/2009 में बिल संख्या 3996 दिनांक 14.3.2009 के अन्तर्गत मै0 मेहा एजैन्सीज नजदीक सैनिक रेस्ट हाउस, दी माल सोलन से बचत भवन के लिए 21" इंच रंगीन टी0वी0 क्रय करने हेतु ₹10990 का भुगतान किया गया। उक्त क्रय करने से पूर्व कोई भी औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की गई और न ही निविदाएं इत्यादि आमन्त्रित की गई। अतः निविदाएं आमन्त्रित किए बिना व्यय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और सम्बन्धित व्यय को नियमित करवाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

18 दोपहर के भोजन पर ₹17010 का अनियमित प्रकार से भुगतान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा चयनित माह 7/2011 के बिल संख्या 108 दिनांक 16.6.2011 के एवज में श्री संत राम शर्मा, शूलिनी स्वीटस एण्ड केटरज पैलेस रोड सोलन को अधिवेशन पर 243 लोगों को दोपहर के भोजन पर ₹17010 का व्यय बिना निविदाऐं इत्यादि आमन्त्रित करके किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 98 का उल्लंघन है। अतः निविदाएं आमन्त्रित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए और सम्बन्धित व्यय को नियमित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा भविष्य में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही निधि से व्यय किया जाए।

19 श्री सी0पी0 वर्मा, ए0डी0सी0–कम–पी0डी0, डी0आर0डी0ए0 से ₹2000 की वसूली न करने बारेः–

आवास किराये के रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि बचत भवन, सपरून सोलन का आवास श्री सी0पी0 वर्मा, ए0डीसी0–कम–पी0डी0, डी0आर0डी0ए0 सोलन को (₹1000 मकान किराया भत्ता+₹898 लाईसैन्स फीस) अर्थात ₹1898 प्रति माह की दर से आंबटित किया है। माह

12/2013 तथा माह 1/2014 में उनसे केवल ₹898 प्रतिमाह की दर से केवल लाईसैन्स फीस की वसूली की गई है जिसके फलस्वरूप जिला पुरस्कार निधि को प्रतिमाह ₹1000 की हानि हो रही है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

आवास का नाम	**अधिकारी का नाम व पदनाम जिसे आवास आंबटित है**	**माह**	**निर्धारित किराये की राशि**	**किराये की राशि जो प्राप्त की जा रही है**	**वसूली योंग्य राशि**
बचत भवन, सपरून	श्री सी0पी0 वर्मा,	12/2013	11898	898	1000
सोलन	ए0डी0सी0	1/2014	1898	898	1000
				योग	**₹2000**

अतः ₹2000 की सम्बन्धित अधिकारी से तुरन्त वसूली की जाए और जिला पुरस्कार राशि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में सम्बन्धित अधिकारी से ₹1898 प्रतिमाह की दर से ही वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

20 पाँच वर्ष के उपरान्त भी दुकानों की पुनः नीलामी न करने बारेः–

जिला अस्पताल, सोलन के पास लघु बचत निधि से निर्मित दुकान संख्या 1 से 4 विभिन्न दुकानदारों को पाँच वर्षों के लिए किराये पर आंबटित की थी। इन दुकानों की पाँच वर्षों की अवधि क्रमशः 31.8.2008, 22.2.2010, 31.10.2011 और 22.2.2010 को पूर्ण हो चुकी थी। आंबटन की शर्तों के अनुसार 5 वर्ष के उपरान्त इन दुकानों की पुनः नीलामी की जानी अपेक्षित थी परन्तु 5 वर्ष के उपरान्त भी उक्त दुकानों को 5 प्रतिशत किराये में बढ़ौतरी के साथ उन्ही दुकानदारों को किराये पर दे दिया गया। अतः पाँच वर्षों के उपरान्त भी इन दुकानों की पुनः नीलामी न करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके तथा बाजारी मूल्य को ध्यान रखते हुए इनकी नीलामी आंबटन की शर्तों के अनुसार पुनः करवाई जानी भी सुनिश्चित की जाए ताकि इन दुकानों से अधिक से अधिक आय अर्जित की जा सके और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

21 मै0 विश्वकर्मा फर्नीचर इन्डस्ट्रीज, सोलन को ₹600 का अधिक भुगतानः–

चयनित माह 3/2010 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा मै0 विश्वकर्मा फर्नीचर इन्डस्ट्रीज, सोलन को निम्नविवरणानुसार ₹600 का अधिक भुगतान किया गया है। अतः ₹600 की वसूली उचित स्त्रोत से करके जिला पुरस्कार राशि में तुरन्त जमा करवाई जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	फर्म का नाम	बिल सं0 और दिनांक	बिल के अनुसार भुगतान योग्य राशि	राशि जिसका भुगतान किया गया	अधिक भुगतान की गई राशि
1	मै0 विश्वकर्मा फर्नीचर इन्डस्ट्रीज, सोलन	14386 11.1.2010	2288	2888	600

22 लघु बचत द्वारा बनाए गए अतिथि गृह का अनुचित प्रयोग करनाः–'

अतिथि गृह कोटला नाला सोलन के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अतिथि गृह का प्रयोग आगंतुकों के लिए न करके जिलाधीश कार्यालय, सोलन और तहसील सोलन के अधिकारियों के आवास हेतु किया जा रहा है जो कि अनुचित है। अतः नियमानुसार अतिथि गृह का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

23 स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाया जानाः–

(क) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 खण्ड–1 के नियम 15.17 के अनुसार स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन 21.8.2010 के उपरान्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 21.8.2010 को किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित वस्तुओं को अनुपयोगी घोषित किया गया था परन्तु उनकी अभी तक नीलामी नहीं की गई है। अतः अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अनउपयोगी वस्तुओं की शीध्र अतिशीध्र नीलामी करवाई जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र0सं0	वस्तु का नाम	संख्या
1	गीजर	1
2	फैक्स मशीन	1

(ख) स्टॉक/अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि जिला पुरस्कार राशि से अतिथि गृह हेतु जिला नाजर शाखा के माध्यम से जो सामान खरीदा जा रहा है उसे स्टॉक रजिस्टर में अंकित करके सामान को विभिन्न उद्देश्यों हेतु जारी करके स्टॉक को "शून्य" किया जा रहा है जोकि उचित नही है। इस प्रकार के कुछ उदाहरण **परिशिष्ट"ज"** पर संलग्न है। अतः इस सन्दर्भ में नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर स्टॉक की वास्तविक स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टॉक की वस्तुओं को जारी करते समय उसके शेष को "शून्य" न किया जाए और यदि कोई वस्तु अन्य शाखा अथवा अन्य किसी उद्देश्यों हेत हस्तांतरित की जाती है तो उस वस्तु की सम्बन्धित शाखा के स्टॉक रजिस्टर की पृष्ठ सहित प्रविष्टि संख्या स्टॉक रजिस्टर में सन्दर्भ हेतु दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि अतिथि गृह के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लिए जो सामान जिला पुरस्कार निधि से क्रय किया गया है वह उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः जो सामान अन्य स्थानों के लिए जारी किया गया है उनसे सम्बन्धित राशि को सम्बन्धित कोष से निकाल कर जिला पुरस्कार निधि में तुरन्त जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

24 बिना रसीदों के वेतन का भुगतान करनाः—

निम्नलिखित दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के उपरान्त भुगतान की गई राशि की रसीदें प्राप्त नहीं की है। अतः समस्त रसीदें प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण को दिखाई जानी सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	माह	राशि
1	श्री कमलेश कुमार, चालक	10/2008	4216
2	—यथोपरि—	2/2010	4200
3	श्री सेवक राम, चौकीदार	10/2008	2900
4	—यथोपरि—	2/2010	3080
		योग	**₹14396**

25 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।

26 **निष्कर्षः—** जिला खेलकूद, शिक्षा संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि, सोलन, जिला सोलन के लेखें सन्तोषजनक नहीं पाए गए जिसमें सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन(एल0ए0) एच(2)सी(15)(14)86/84 खण्ड—2—4801—4803 दिनांक08.08.2014, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 उपायुक्त सोलन एवं अध्यक्ष जिला खेलकूद, शिक्षा संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भिजवाना सुनिश्चित करें।

2. निदेशक लघु बचत हि0प्र0 शिमला—2
3. श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा.......................

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

परिशिष्ट "क" पैरा 1 के सन्दर्भ में

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.3.80 से 31.3.84

1	पैरा–5 (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–10	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.1984 से 31.3.1989

1	पैरा–7	अनिर्णीत
2	पैरा–8	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत
8	पैरा–14	अनिर्णीत
9	पैरा–15	अनिर्णीत
10	पैरा–16	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1992

1	पैरा–5	निर्णीत अंकेक्षण शुल्क
2	पैरा– 6 (1 से 9)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (1 से 5)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (1 से 5)	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (1 व 2)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (क व ख)	अनिर्णीत

8	पैरा–12	अनिर्णीत
9	पैरा–13	अनिर्णीत
10	पैरा– 14 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत
11	पैरा–15 (1 से 9)	अनिर्णीत
12	पैरा–16 (1 से 8)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/95

1	पैरा–5 (क व ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (क, ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (क, ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (क, ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–8 (ङ, च, छ)	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/1995 से 3/2003

1	पैरा–4	निर्णीत (समस्त समायोजन प्रविष्टियों रोकड़ बही में 30.6.2009 को कर दी है)
2	पैरा–7 (ग, घ)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (च, छ)	अनिर्णीत
4	पैरा–8	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–11	अनिर्णीत
8	पैरा–13	अनिर्णीत
9	पैरा–16	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2006

1	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत	
3	पैरा–9 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत	
4	पैरा–11	अनिर्णीत	
5	पैरा–12	अनिर्णीत	
6	पैरा–13	अनिर्णीत	
7	पैरा–14	अनिर्णीत	
8	पैरा–15	निर्णीत	(स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन उप मण्डलाधिकारी (ना0) सोलन द्वारा दिनांक 21.8.10 को किया गया)
9	पैरा–17	निर्णीत	(रसीद प्राप्त होने पर)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त होने पर पैरा समाप्त)
2	पैरा–4	अनिर्णीत	(नवीनतम स्थिति दर्शाई गई है)
3	पैरा–5	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/08 से 3/13 में दर्शाई है)
4	पैरा–6	निर्णीत	(वर्तमान स्थिति अवधि 4/08 से 3/13 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाई गई है)
5	पैरा–7	अनिर्णीत	
6	पैरा–8	अनिर्णीत	
7	पैरा–9	अनिर्णीत	
8	पैरा–10	अनिर्णीत	
9	पैरा–11	निर्णीत	(पैरे को पुनः वर्तमान अंकेक्षण

			प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2013 में प्रारूपित किया गया)
10	पैरा–12	अनिर्णीत	
11	पैरा–13	अनिर्णीत	
12	पैरा–14	निर्णीत	(रेट कॉन्ट्रैक्ट/निविदाओं को देखने के उपरान्त)

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	66
वर्तमान अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्णीत किए गए गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरे	9
अन्तशेष (अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/06 से 3/08 तक) अनिर्णीत पैरें	57